प्रेस नोट दिनांक 20.11.2025

प्रेस नोट दिनांक 20.11.2025

साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रतापगढ़ द्वारा **02** अभियुक्तों को आईटी एक्ट के अभियोग में किया गया गिरफ्तार-

घटना का विवरण-

वादी आजम अली के साथ आरोपीगणों द्वारा लोन दिलाने के बहाने उसके दस्तावेज, बैंक खाता, पासबुक व **ATM** लेकर खाते में अपना मोबाइल नंबर डालते हुए **ATM** को एक्टिवेट कर पासवर्ड बनाकर दुरुपयोग करने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रतापगढ़ में मु0अ0स0 **21/2025** धारा **318 (2)/319 (2)/338/336 (3)/340 (2) 13(5) BNS** व **66C IT Act.** बनाम **01** नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक दिवाकर सिंह यादव मय हमराह हे0का0 नीरज कुमार, का0 अनिल यादव, का0 सत्येन्द्र यादव, का0 प्रवीन कुमार सिंह, का0 पंकज पाल द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मु0अ0स0 **21/2025** धारा **318 (2)/319 (2)/338/336 (3)/340 (2) 13(5) BNS** व **66C IT Act.** से संबंधित **02** अभियुक्तों **01**-मो० दानिश पुत्र मो० मुबीन निवासी भुलियापुर दहिलामऊ **CT** नियर एक्का सागर फैक्ट्री सदर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उ0प्र0 उम्र **25** वर्ष, **02.** उमेर अशफाक पुत्र अशफाक अहमद निवासी मकान नं0 **272 JN** शुक्ला रोड पल्टन बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र **21** वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों के खातो में ज्यादा हुए ट्रान्जेक्शन व खातो पर फ्राड से सम्बन्धित शिकायतो के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा कोई उचित जवाब नहीं दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01-मो० दानिश पुत्र मो० मुबीन निवासी भुलियापुर दहिलामऊ CT नियर एक्का सागर फैक्ट्री सदर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उ0प्र0 उम्र 25 वर्ष।

02. उमेर अशफाक पुत्र अशफाक अहमद निवासी मकान नं0 272 JN शुक्ला रोड पल्टन बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 21 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक दिवाकर सिंह यादव मय हमराह हे0का0 नीरज कुमार, का0 अनिल यादव, का0 सत्येन्द्र यादव, का0 प्रवीन कुमार सिंह, का0 पंकज पाल साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 20.11.2025

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा चंगाई सभा से संबंधित सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर की गई विधिक कार्यवाही-

थाना बाघराय पुलिस को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अत्तानगर रायपुर में कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना किसी अनुमति के चंगाई सभा (Faith Healing Meeting) का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के कारण भीड़ एकत्र होने तथा शांति-व्यवस्था बाधित होने की संभावना व्यक्त की गई थी।

घटनास्थल का निरीक्षण

सूचना प्राप्त होते ही उ0नि0 राहुल मय उ0नि0 लालजी राम, उ0नि0 ज्वाला प्रसाद हमराह मय हमराह का0 रणजीत कुमार का0 अतुल कुमार, पीआरडी मीना देवी द्वारा मौके पर पहुंचे। वहाँ पर 05 अभियुक्तों—

01. शिवलाल सरोज पुत्र स्व. समयलाल सरोज (उम्र 27 वर्ष),

02. शिव पूजन सरोज पुत्र स्व. समयलाल सरोज (उम्र 19 वर्ष),

03. अनूप सरोज पुत्र छोटेलाल (उम्र 21 वर्ष),

04. मिथलेश उर्फ अमित पुत्र गल्ले सरोज (उम्र **22** वर्ष), निवासीगण अत्तानगर रायपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

05. नरेन्द्र गौतम पुत्र मेवालाल गौतम उम्र करीब **35** वर्ष नि० लोदीपुर थाना बाघराय प्रतापगढ।

को संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में पाया गया।

कार्यवाही-

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, तथा शांति-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा पांचो व्यक्तियों को धारा **170/126/135** बीएनएसएस के अंतर्गत अभियुक्तों के आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

पुलिस टीम का विवरण-

उ**0**नि**0** राहुल मय उ**0**नि**0** लालजी राम, उ**0**नि**0** ज्वाला प्रसाद हमराह मय हमराह का**0** रणजीत कुमार, का**0** अतुल कुमार, पीआरडी मीना देवी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक **20.11.2025**

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा **04** जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ **01** अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त सैनुद्दीन पर जनपद प्रतापगढ़,गोवध अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-

अभियुक्त को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत लूनी नदी बरदैत के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह उ0नि0 हरेन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 शहंशाह खान, हे0का0 अमित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत लूनी नदी बरदैत के पुल के पास से 01 अभियुक्त सैनुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन उम्र करीब 55 वर्ष निवासी हंडौर थाना लीलापुर जनद प्रतापगढ़ को 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 314/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं क्षेत्र में घूमने वाले छुट्टा गौवंशों को काटकर उनका मांस बेचता हूँ तथा गौकशी करते वक्त न भाग पाने की स्थिति में पकड़े जाने से बचने के लिए इसी देशी बम को फोड़ कर भाग जाता हूँ। आज भी मैं उसी काम से निकला था कि आप लोगों ने पकड़ लिया मुझे माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सैनुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन उम्र करीब 55 वर्ष निवासी हंडौर थाना लीलापुर जनद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 62/24 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 314/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह उ0नि0 हरेन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 शहंशाह खान, हे0का0 अमित कुमार थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-20.11.2025

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण— 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना पट्टी क्षेत्र में संदिग्ध मृत्यु प्रकरण का खुलासा—धारा 105 BNS के तहत 03 नामजद अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत पट्टी पृथ्वीगंज रोड पर चरैया खडंजा मार्ग मोड के पास गिरफ्तार किया गया।

थाना पट्टी क्षेत्र में संदिग्ध मृत्यु प्रकरण : धारा 105 BNS में तरमीम, 03 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था-

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादिनी निवासी ग्राम चरैया, थाना पट्टी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर अवगत कराया गया कि दिनांक 16.11.2025 को उनके पति को गौरव उर्फ प्रिंस सिंह, अम्बुज तथा अनुज उर्फ नोटे निवासीगण चरैया अपने साथ ले गए थे। दिनांक 17.11.2025 की भोर में वादिनी के पति को संदिग्ध अवस्था में पाया गया,

जिन्हें CHC पट्टी ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वादिनी ने आरोप लगाया कि यह दुर्घटना न होकर उक्त व्यक्तियों द्वारा की गई हत्या है।

तहरीर के आधार पर थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 327/2025, धारा 3(5), 103(1) BNS बनाम 03 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की समीक्षा उपरांत पूर्व में विनिर्दिष्ट धारा 103(1) BNS के स्थान पर धारा 105 BNS का तरमीम/संवर्द्धन किया गया है।

घटनास्थल निरीक्षण एवं साक्ष्य संकलन

घटना की सूचना पर उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर निरीक्षण किया गया। घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र में तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया तथा आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए।

पुलिस कार्यवाही एवं अनावरण

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में स्थानीय पुलिस को प्रकरण के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस द्वारा लगातार साक्ष्य संकलन, तकनीकी विश्लेषण तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही थी। लगातार प्रयासों के फलस्वरूप पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में थाना पट्टी के निरीक्षक श्री मनोज कुमार मय हमराह उ0नि0 रोहित यादव व उ0नि0 अनिश यादव, का अभिषेक यादव, का० पंकज चौहान मय चालक हे का0 राजेश सिंह द्वारा मु0अ0सं0 327/2025 धारा 3(5)/105 बीएनएस थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 03 अभियुक्तों, 1. गौरव प्रताप सिंह उर्फ प्रिंस सिंह पुत्र विजय सिंह उम्र करीब 32 वर्ष, 2. धर्मवीर सिंह उर्फ अम्बुज सिंह पुत्र अनिल सिंह उम्र करीब 33 वर्ष, 3. अनुज प्रताप सिंह उर्फ नाटे पुत्र विनय कुमार सिंह उम्र करीब 33 वर्ष समस्त निवासी गण चरैया थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ को थाना क्षेत्रान्तर्गत पट्टी पृथ्वीगंज रोड पर चरैया खडंजा मार्ग मोड के पास गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. गौरव प्रताप सिंह उर्फ प्रिंस सिंह पुत्र विजय सिंह उम्र करीब 32 वर्ष,

2. धर्मवीर सिंह उर्फ अम्बुज सिंह पुत्र अनिल सिंह उम्र करीब 33 वर्ष,

3. अनुज प्रताप सिंह उर्फ नाटे पुत्र विनय कुमार सिंह उम्र करीब 33 वर्ष समस्त निवासी गण चरैया थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक श्री मनोज कुमार मय हमराह उ0नि0 रोहित यादव व उ0नि0 अनिश यादव, का अभिषेक यादव, का० पंकज चौहान मय चालक हे का0 राजेश सिंह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 20.11.2025

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस की तत्परता से कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दुकान पर जबरन निर्माण एवं मारपीट की घटना का सफल अनावरण—06 अभियुक्त गिरफ्तार, तीन मोटरसाइकिलें बरामद एवं सीज-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी जैरामपुर, थाना रानीगंज द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 19.11.2025 को सुबह वादी अपनी दुकान पर बैठा था उसी समय विपक्षीगण राजेन्द्र प्रसाद पटेल, असफाक अहमद, तब्बू उर्फ़ तबरेज, संतोष दूबे एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति कई वाहनों से पहुंचकर वादी की दुकान की शटर तोड़ने तथा

भूमि पर जबरन निर्माण का प्रयास कर रहे थे। मना करने पर उन्होंने वादी को गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 415/2025 धारा 191(2),119 (1),115 (2),352,351(3),324(4) BNS बनाम 04 नामजद व कुछ लोग नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय उ0नि0 राजनारायण यादव, उ0नि0 राकेश कुमार चौरसिया मय हमराह हे0 का0 अमरनाथ यादव, हे0का0 गंगासागर जी व का0 रुद्रांश चौबे, का0 विकाश बाबू, का० सलोने कुमार, का0 नारायण निषाद, का मनोज कुमार, का0 पंकज यादव, म0का सपना कुमारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 415/2025 धारा 191(2),119 (1),115(2),352,351(3),324 (4) BNS से संबंधित 06 अभियुक्तों, 1. मो0 मुजीब पुत्र मो0 इबरार निवासी ग्राम खरवई थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष, 2. फिरदोस अहमद पुत्र साकिर अली निवासी ग्राम खरवई थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 28 वर्ष, 3. मो0 अफजल पुत्र मोहर्रम अली निवासी विष्णुपुर कला थाना रानीगज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 24 वर्ष, 4. असफाक अहमद उर्फ लादेन पुत्र मोहसीम उर्फ मोसिम अली निवासी ग्राम जयरामपुर दुर्गागंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 50 वर्ष, 5. राजेन्द्र पटेल पुत्र इन्द्रजीत पटेल निवासी ग्राम जयरामपुर दुर्गागंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 32 वर्ष को घटना मे प्रयुक्त तीन अदद मो0सा0 वाहन के साथ थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत कछरा के पुल के पास व 06. खुर्शीद उर्फ फुल्लन पुत्र नासिर निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 52 वर्ष को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत पावर हाउस तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तीन अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिन्हें धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया है। उक्त अभियोग में धारा 191(3) एवं 190 BNS की वृद्धि की गई है। साथ ही अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता भी प्रकाश में आई है, जिसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मो0 मुजीब पुत्र मो0 इबरार निवासी ग्राम खरवई थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

2. फिरदोस अहमद पुत्र साकिर अली निवासी ग्राम खरवई थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 28 वर्ष।

3. मो0 अफजल पुत्र मोहर्रम अली निवासी विष्णुपुर कला थाना रानीगज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 24 वर्ष।

4. असफाक अहमद उर्फ लादेन पुत्र मोहसीम उर्फ मोसिम अली निवासी ग्राम जयरामपुर दुर्गागंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 50 वर्ष।

5. राजेन्द्र पटेल पुत्र इन्द्रजीत पटेल निवासी ग्राम जयरामपुर दुर्गागंज थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 32 वर्ष।

6. खुर्शीद उर्फ फुल्लन पुत्र नासिर निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 52 वर्ष

बरामदगी-

घटना मे प्रयुक्त तीन अदद मो0सा0 वाहन बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय उ0नि0 राजनारायण यादव, उ0नि0 राकेश कुमार चौरसिया मय हमराह हे0 का0 अमरनाथ यादव , हे0का0 गंगासागर जी व का0 रुद्रांश चौबे, का0 विकाश बाबू, का० सलोने कुमार, का0 नारायण निषाद, का मनोज कुमार, का0 पंकज यादव, म0का सपना कुमारी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-20.11.2025

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कंधई पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अजय सिंह को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री अनिल कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह हे0का0 ऋषिकेश तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69/351 (2) बीएनएस थाना कंधई, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अजय सिंह सुत रामसिंह उर्फ जाखू सिंह उम्र करीब 22 वर्ष नि०ा0 विक्रमपुर ढेरहना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ को भैरोगंज बस अड्डा प्रतापगढ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अजय सिंह सुत रामसिंह उर्फ जाखू सिंह उम्र करीब 22 वर्ष नि०ा0 विक्रमपुर ढेरहना थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह हे0का ऋषिकेश तिवारी थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।